अब सरल प्रक्रिया का लाभ उठाइए
और अपनी लाडली को पढ़ाइए, बढ़ाइए व
उसका जीवन बेहतर बनाइए ।

"लाडली"

आएं, बिटिया के सपनों को आकार दें

महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
1, केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

www.wcddel.in

“लाडली”

पढ़ेगी, बढ़ेगी,
नाम रौशन करेगी

- अगर आपके घर बेटी का जन्म हुआ हो और आपकी सालाना आय 1 लाख रूपये से कम हो और आप पिछले तीन वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं तो 1 साल के अंदर अपने नजदीकी जिला कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, में जन्म प्रमाण पत्र के साथ पंजीकरण कराइए और योजना का लाभ उठाइए, अपनी लाडली को पढ़ाइये, बढ़ाइये, उसका जीवन बेहतर बनाइये ।
- पंजीकरण कराते ही दिल्ली सरकार आपकी बेटी के नाम 10000/– रूपये यदि जन्म अस्पताल अथवा प्रसूति गृह में हुआ हो तो 11000/–रूपये बैंक खाते में जमा करेगी ।
- कक्षा **X**, कक्षा **VI** और कक्षा **IX** में नामांकन पर पुनः हर स्तर पर उसी बैंक खाते में आपकी बेटी के नाम 5000/– रूपये जमा करेगी ।
- कक्षा **X** पास होने पर 5000/– रूपये और कक्षा **XII** में नामांकन पर 5000/– रूपये सरकार उसी बैंक खाते में आपकी बेटी के नाम जमा करेगी ।
- आपकी लाडली के 18 वर्ष पूर्ण होने पर तथा 10वीं कक्षा दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पास करने पर उसके खाते में जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा ।

आवेदन के लिए आवश्यक योग्ताएं

- कुल वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रूपये से अधिक नहीं हो(कार्यालय द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/नॉटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें)

- इस स्कीम में एम.सी.डी. द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है ·
- बालिका का जन्म दिल्ली में हुआ हो । (रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- आवेदक पिछले 3वर्ष से दिल्ली में रह रहा हो।(राशन कार्ड/चुनाव पहचान पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल 2 बालिकाओं तक ही सीमित है ।
- बालिका दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो ।

आवेदन प्राप्ति

- उपरोक्त प्रमाणों के उपलब्ध होने पर बालिका अथवा उसके माता–पिता अपने निकटतम ऑगनवाड़ी केन्द्र/सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय/जी.आर.सी.(सुविधा केन्द)से आवेदन पत्र प्राप्त करें। विद्यालय के मुख्य अध्यापक/प्रधानाचार्य की सहायता से आवेदन पत्र भरें ।

आवेदन जमा कराने हेतु कार्यालय

जन्म के समय आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में अथवा निकटतम जी.आर.सी. (सुविधा केन्द्र) जमा करें ।
स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के आवेदन पत्र उसी स्कूल के प्रधानाचार्य के कार्यालय में जमा करें ।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों के पते :

1. जिला उत्तर, निकट सुपर बाजार, गुलाबी बाग, नई दिल्ली ।
2. जिला उत्तर–पूर्व, संस्कार आश्रम, गुरू तेग बहादुर अस्पताल के सामने, दिलशाद गार्डन, दिल्ली ।
3. जिला पूर्व, सिलाई कढ़ाई केन्द्र, ब्लॉक–10, गीता कॉलनी, दिल्ली ।

4. जिला दक्षिण, कस्तूरबा निकेतन, जल विहार टर्मिनल के पास, लाजपत नगर, नई दिल्ली ।
5. जिला दक्षिण–पश्चिम, सी–22–23, उद्योग सदन,कुतुब संस्थान एरिया, नई दिल्ली ।
6. जिला पश्चिम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरि नगर, नई दिल्ली।
7. जिला उत्तर–पश्चिम–1, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, रोहिणी, सेक्टर–4, नई दिल्ली ।
8. जिला उत्तर–पश्चिम–2, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, रोहिणी, सेक्टर–4, नई दिल्ली ।
9. जिला नई दिल्ली, 1, केनिंग लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली ।
10. जिला मध्य, नर्सरी प्राइमरी बधिर विद्यालय, दिल्ली गेट, नई दिल्ली ।

लाडली योजना/ प्रश्न आपके उत्तर दिल्ली सरकार के (सामान्य रूप से बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर)

1. प्रश्नः क्या सिर्फ 1, जनवरी, 2008 के बाद जन्मी बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती है ?

उत्तरः केवल 1, जनवरी, 2008 के बाद जन्मी बालिकाएं ही नहीं बल्कि इससे पहले भी जन्मी बालिकाएं अपनी कक्षाओं में प्रवेश के स्तर पर तथा कक्षा 10 पास करने पर इस योजना योजना का लाभ ले सकती है ।

- बालिका का जन्म 1 जनवरी, 2008 अथवा उसके बाद हुआ हो । जन्म के समय 10,000/– रूपये (अस्पताल या प्रसूतिगृह में हुआ हो तो 11,000/– रूपए)
- कक्षा 1,6,9,12 में से किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने पर हर बार अलग–अलग स्तर पर आवेदन कर सकती हैं ।
- इन सभी कक्षाओं में प्रवेश लेने पर हर बार अलग–अलग स्तर पर आवेदन कर सकती हैं ।

2. प्रश्नः क्या सभी बालिकाओं को 1 लाख रूपए की परिपक्व धनराशि मिल सकेगी ?

उत्तर– जी नहीं,, केवल उन्ही बालिकाओं को लगभग 1 लाख रूपए की धनराशि मिलेगी, जिनका जन्म के समय इस योजना में आवेदन किया गया है तथा कक्षा 1, 6, 9, 12 में प्रवेश के समय तथा कक्षा 10 पास करने पर हर बार नवीनीकरण कराया है । बाकी सभी बालिकाओं को उनके खाते में जमा की गई धनराशि पर ब्याज सहित दिया जाएगा ।

3, प्रश्नः क्या दिल्ली से बाहर जन्मी बालिकाएं जो 3 वर्ष से दिल्ली में रह रही है, इस योजना का लाभ ले सकती है ?

उत्तर– जी नहीं, इस योजना का लाभ केवल दिल्ली में जन्मी बालिकाएं ही ले सकती है, जिनके पास रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा जारी किया हुआ दिल्ली का प्रमाण पत्र हो ।

4.प्रश्नः क्या दिल्ली में जन्मी व दिल्ली में रहने वाली बालिकाएं जो एन सी आर (गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद गुड़गांव इत्यादि) के विद्यालय में पढ़ रही हैं, तो इस योजना का लाभ ले सकती हैं?

उत्तर– जी नहीं, योजना के अनुसार दिल्ली के किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त/ एमसीडी/एनडीएमसी/ कन्टोंमेन्ट बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं ।

5. प्रश्नः क्या लाडली योजना के फार्म की कोई कीमत है ?

उत्तर– जी नहीं,, फार्म निःशुल्क (मुफ्त) फार्म बांटे जा रहे हैं । विद्यालयों, जी आर सी सुविधा केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, एम. सी. डी. के प्रसूति केन्द्रों, अस्पतालों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों पर भी उपलब्ध है

6.प्रश्नः यदि विद्यालय में इस योजना का फार्म न मिले तो किससे सम्पर्क करें ?

उत्तरः महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी से सम्पर्क करें ।

7.प्रश्नः यदि दिल्ली में जन्म –मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र समय पर ना मिले तो क्या करें ?

उत्तरः जन्म के समय 1 साल के अंदर तथा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने के 90 दिनों की अवधि दी गई है । फिर भी यदि प्रमाण पत्र ना मिले तो आवेदन जमा पर्ची के आधार पर इस समय सीमा में जिला महिला एवं बाल विकास/ समाज कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है ।

8 प्रश्नः घर में पैदा हुए बच्चे के मामले में यदि रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र न हो तो क्या करें ?

उत्तरः स्थानीय निकाय के अधिकारी या एम सी डी के क्षेत्रीय उपायुक्त से सम्पर्क कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है ।

9. प्रश्नः यदि भरा हुआ लाडली योजना का फार्म स्कूल/ महिला एवं बाल विकास विभाग लेने से मना करते हैं, तब क्या करें ?

उत्तरः यह फार्म विद्यालयों के प्रधानाचार्य/जिला महिला एव बाल विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी को सरकार द्वारा फार्म देने/भरवाने व लेने के लिए सख्त निर्देश दिये गए हैं ।

10.प्रश्नः किसी कारणवश यदि बालिका कक्षा 10 नहीं पास कर पाती तो क्या उसे धनराशि नहीं मिलेगी ?

उत्तरः जी नहीं, कक्षा 10 पास करना जरूरी है ।

11.प्रश्नः यदि परिवार में दो से अधिक बालिकाएं हैं तो कितनी बालिकाओं का इस योजना का लाभ मिलेगा ?

उत्तरः इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की कोई दो बालिकाएं ही लाभ प्राप्त कर सकती हैं ।

12. प्रश्नः यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में दूसरी बालिका को उसके नाम की धनाराशि दी जा सकती है ?

उत्तरः जी नहीं ।

13. प्रश्नः क्या यह धनराशि कोई और भी ले सकता है ?

उत्तरः जी नहीं, यह धनराशि बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर उसी के नाम बैंक खाते में जमा की जाएगी । अन्य कोई व्यक्ति यह धनराशि प्राप्त नहीं कर सकता है ।

14. प्रश्नः बहुत से प्रधानाचार्य लाडली योजना के फार्म को देने, सत्यापित करने से मना करते है तो क्या करें ?

उत्तरः प्रधानाचार्य को फार्म वितरित करने, फार्म सत्यापित करने जमा करने पावती रशीद देने तथा जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी / समाज कल्याण विभाग अधिकारी को यह फार्म पहुंचाने

तक के आदेश दिए गए हैं ।

15. प्रश्नः क्या जिस स्कूल में बालिका पढ़ रही है तथा स्कूल में कक्षा पास करने पर तथा उपरोक्त वर्णित किसी भी कक्षा में प्रवेश लने पर इस योजना में आवेदन कर सकती है ?

उत्तरः जी हॉं, जो कन्या उपरोक्त किसी भी वर्णित कक्षा में प्रवेश करती हैं इस योजना में आवेदन कर सकती है ।

16. प्रश्नः क्या प्राइवेट / पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं भी आवेदन कर सकती हैं ?

उत्तरः जी हॉं, परंतु स्कूल मान्यता प्राप्त हों, ऐसी सभी छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम हो, आवेदन कर सकती है ।

17. प्रश्नः यदि आवेदन पत्र के कुछ कॉलम न भरे जाएं तो क्या आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे ?

उत्तरः आवेदन पत्र में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे नाम, पता, वार्षिक आय, पुत्रियों की संख्या, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो स्कूल तथा कक्षा से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है, जो कॉलम लागू नहीं होता हो, उसे खाली छोड़ा जा सकता है ।

18. प्रश्नः यदि कोई बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तथा इस योजना में आवेदन करती है तो उसे उसके खाते की धनराशि कब मिल सकती है ?

उत्तरः व्यस्क होने के नाते इसका निर्णय वह स्वयं करेगी, लेकिन मियादि जमा राशि की अवधि कम से कम एक वर्ष रहेगी ।

जनवरी, 2010

लाडली योजना से संबंधित जानकारी के लिए जनसंख्या स्थिरता कोष द्वारा संचालित कॉल सेन्टर के इस नम्बर पर सम्पर्क करें: 66665555

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
1, CANNING LANE, K. G. MARG, NEW DELHI-01
PHONE 23070378, FAX 23070379
HTTP://WWW.WCDDEL.IN